

क्रमांक : स्था0 / 2023 /

दिनांक :- 06-10-2023

प्रेषक :- जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
राजसमन्द

प्रेषित:- श्री जितेन्द्र गोयल,
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
राजसमन्द

विषय:- शिविर न्यायालय (ए.डी.जे. कोर्ट), नाथद्वारा में प्रस्तावित तिथियों के अनुमोदन के सम्बन्ध में ।

सन्दर्भ:- आपका पत्र क्रमांक स्टेनो/61 दिनांक 03.10.2023

महोदय,

उपर्युक्त विषय एवं सन्दर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेशानुसार प्रतिमाह (ए.डी.जे. कोर्ट) नाथद्वारा में शिविर न्यायालय का आयोजन किये जाने हेतु निम्नांकित तिथियाँ अनुमोदित की जाती हैं :-

क्र. सं.	माह का नाम	तिथिया	
1	अक्टुबर	09, 10, 11	25, 26, 27
2	नवम्बर	06, 07, 08	20, 21, 22
3	दिसम्बर	04, 05, 06	18, 19, 20

नाथद्वारा शिविर न्यायालय लिए आवागमन हेतु स्वयं के निजी वाहन कार का उपयोग करने के संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के स्थायी आदेश क्रमांक 14/S.O./2018 दिनांक 21.08.2018 से अनुज्ञप्त हैं।

जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
राजसमन्द

क्रमांक:- स्था0 / 2023 / 4693

दिनांक:- 06-10-2023

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. प्रभारी अधिकारी (लेखा शाखा) जिला न्यायालय, राजसमन्द
2. प्रभारी अधिकारी (लेखा शाखा) अपर जिला न्यायालय, नाथद्वारा
3. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, राजसमन्द / नाथद्वारा
4. अपर लोक अभियोजक, राजसमन्द / नाथद्वारा
5. अध्यक्ष, बार एसोसिएशन, राजसमन्द / नाथद्वारा
6. सिस्टम ऑफिसर, न्यायालय हाजा को वेबवाइट पर अपलोड हेतु
7. कार्यालय प्रति ।

जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
राजसमन्द